



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 28 राँची, बुधवार
8 पौष, 1943 (श०)
29 दिसम्बर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 351 -360 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक--
	पूरक "अ"

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-824/2012 का०-8599--श्री एल० खियांगते, भा.प्र.से. (झा:1988), महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 23.12.2021 से 07.01.2022 तक कुल 16 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 08.01.2022 एवं 09.01.2022 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-53/2014 का.-8568--श्री मुकेश कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-दुमका) व्यख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) हेहल, राँची को चिकित्सा हेतु उपभोग की गयी अवकाश अवधि दिनांक 15.07.2021 से 30.07.2021 तक (कुल-16 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-299/2014का.8567--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती नूपुर नलिनी भगत, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची का दिनांक 11.03.2019 से 18.03.2021 तक की अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

- 1 दिनांक 11.03.2019 से 25.10.2019 उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के तक (कुल 229 दिन) नियम 227, 230, 248 के तहत
- 2 दिनांक 26.10.2019 से 13.03.2020 अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत तक (कुल 140 दिन)
- 3 दिनांक 14.03.2020 से 18.03.2021 असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत तक (कुल 370 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 दिसम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-17/2016 का.-8436--श्री महेन्द्र छोटन उराँव, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गुमला) अंचल अधिकारी, राहे, राँची को चिकित्सा हेतु उपभोग की गयी अवकाश अवधि दिनांक 31.12.2020 से 01.03.2021 तक (कुल-61 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-24/2019का.-8405--श्रीमती शाईनी तिग्गा, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-लोहरदगा) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया, हजारीबाग को उपभोग की गयी अवकाश अवधि दिनांक 24.04.2021 से 06.06.2021 तक (कुल-44 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
8 दिसम्बर, 2021

संख्या-3/नि०सं०-09-34/2014का.8356--श्री कमलाकान्त गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-854/03) उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को दिनांक 26.01.2021 से 01.03.2021 तक (कुल 35 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना
8 दिसम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-23/2016 का.-8341--श्रीमती शीतल कुमारी, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-राँची) सहायक नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को उपभोग की गयी अवकाश अवधि दिनांक 24.11.2018 से 14.12.2018 तक (कुल-21 दिन) एवं दिनांक 21.09.2019 से 15.03.2020 तक (कुल-177 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-811/2016 का०-8671--श्री राजेश सिंह, भा.प्र.से. (झा:2007), विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 15.12.2021 से 31.12.2021 तक कुल 17 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 दिसम्बर, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-22/2014का.8748--श्रीमती नयनतारा केरकेट्टा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-777/03), निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर को दिनांक 11.10.2021 से दिनांक 07.11.2021 तक (कुल 28 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BINDU ROY अन्य नाम BINDU DEVI पति LATE SURESH RAI SUMAN, शपथ पत्र सं० 2506, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के अनुसार BINDU ROY के नाम से जानी जाऊँगी ।

BINDU ROY एवं BINDU DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- 1151/16B AASHRAY BHAWAN,
KRISHNA VIHAR EXTENSION,
BEHIND HOTEL PADOSAN,
GUTUWA PUNDAG,
KATHALMORE, RANCHI,
PIN - 835303
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BHOLA SHANKAR YADAV अन्य नाम ANAND KUMAR पिता MOTI YADAV, शपथ पत्र सं० 4042, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के अनुसार BHOLA SHANKAR YADAV (जन्म तिथि -3 फरवरी, 1996) के नाम से जाना जाऊँगा ।

BHOLA SHANKAR YADAV एवं ANAND KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- VILL- KADVANI,
P.O.- TATRA,
P.S.- RAJPUR,
PANCHAYAT- BAKCHUMBA
BLOCK - KANHACHATTI,
DIST.-CHATRA,
PIN- 825401
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ETWA HORO, SOMA HORO (अन्य नाम BASIL HORO) का पिता शपथ पत्र सं० 52/1196, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र BASIL HORO (जन्म तिथि -13 फरवरी, 2004) के नाम से जाना जायेगा ।

BASIL HORO एवं SOMA HORO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- C/O ETWA HORO,
VILL- BARKOILI,
P.O.- SALEGUTU,
P.S.- KAMDARA,
DIST.- GUMLA,
PIN- 835227
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BIBHA SHARMA, YASHASVI (अन्य नाम YASHASVI RAJ) कि माता शपथ पत्र सं० 136, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र YASHASVI RAJ (जन्म तिथि - 20 जून, 2004) के नाम से जाना जायेगा ।

YASHASVI RAJ एवं YASHASVI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- S/O LATE RAJESH KUMAR SHARMA,
HOUSE- DT- 592, SHARMA ROAD,
HEC COLONY,
P.O.- DHURWA,
DIST.- RANCHI,
PIN- 834004
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MIRA DEVI, KHUSHI KUMARI (अन्य नाम MAHI RANI) कि माता शपथ पत्र सं० 636, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री MAHI RANI (जन्म तिथि -15 अक्टूबर, 2005) के नाम से जानी जायेगी ।

MAHI RANI एवं KHUSHI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- SAHIBGANJ, BIJALI GHAT, PIPELINE,
DIST.- SAHIBGANJ,
PIN- 816109
JHARKHAND.
